सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पूर्व नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

'नो योर कस्टमर' (KYC) और एंटी-मनी लॉन्डरिंग (AML) पर पॉलिसी

(14 नवंबर, 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में रिव्यू किया गया और अप्रूव्ड किया गया)

विषय-सूची

1 परिचय और उद्देश्य 3

2 लक्षित वर्ग 3

3 पॉलिसी की व्यावहरिकता और वैधता 3

4 परिभाषा: 3

5 पॉलिसी की प्रमुख बातें 4

5.1 कस्टमर स्वीकार्यता पॉलिसी 4

5.2 कस्टमर पहचान प्रक्रिया 7

5.2.1 कस्टमर जांच और सत्यापन प्रक्रिया (CDD) 10

5.2.2 बेहतर जांच और सत्यापन प्रक्रिया के उपाय 112

5.2.3 निरंतर उचित जांच और सत्यापन प्रक्रिया 13

5.2.4 KYC डॉक्यूमेंट को समय-समय पर अपडेट करना 14

5.3 जोखिम प्रबंधन 16

5.3.1 जोखिम आधारित दृष्टिकोण 16

5.4 ट्रांज़ैक्शन की निगरानी 17

5.4.1 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का रखरखाव 17

5.4.2 रिकॉर्ड में निर्दिष्ट जानकारी दी जाएगी 18

5.4.3 रिकॉर्ड का रखरखाव और संरक्षण 18

5.4.4 मुख्य अधिकारी 18

5.5 C-KYC अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन 19

6 कस्टमर जागरूकता 19

7 नई तकनीक 20

8 पॉलिसी की प्रमुख बातें: 20

1 परिचय और उद्देश्य

मास्टर डायरेक्शन - नो योर कस्टमर **(KYC), 2016 डायरेक्शन** के तहत आरबीआई द्वारा जारी KYC के दिशानिर्देशों और समय-समय पर संशोधन के अनुसार - सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (इसके बाद "**SCL**" कहा जाएगा) और इसकी ग्रुप कंपनियों को उधार/क्रेडिट ऑपरेशन/फाइनेंशियल डीलिंग के लिए अपनी KYC पॉलिसी को इसमें बनाए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप रखने की आवश्यकता है. इसे ध्यान में रखते हुए, SCL ने अपनी गतिविधि के आधार पर उपयुक्त संशोधनों के साथ उक्त KYC दिशानिर्देशों को अपनाया है.

KYC दिशानिर्देशों का उद्देश्य SCL (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) और ग्रुप कंपनियों को जानबूझकर या अनजाने में आपराधिक तत्वों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों या टेररिस्ट फाइनेंसिंग गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने से रोकना है. KYC प्रोसेस कंपनी को अपने कस्टमर और उसके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को बेहतर तरीके से जानने और समझने में भी सक्षम बनाएगा, जो इसे अपने जोखिमों को विवेकपूर्वक ढंग से मैनेज करने में मदद करेगा. इस प्रकार, कंपनी द्वारा KYC पॉलिसी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है:

- मनी लॉन्डरिंग गतिविधियों के लिए SCL का उपयोग करने से आपराधिक तत्वों को रोकना
- SCL को अपने कस्टमर्स और उनके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सक्षम बनाना, ताकि कंपनी को जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से मैनेज करने में मदद मिले
- लागू कानूनों/निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए उचित नियंत्रण रखना.
- लागू कानूनों और नियामक दिशानिर्देशों का पालन करना.
- यह सुनिश्चित करना कि संबंधित कर्मचारी KYC/AML/CFT प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं.

2 लक्षित वर्ग

इस डाक्यूमेंट के लिए लक्षित वर्ग बोर्ड के सदस्य, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट होंगे. इस पॉलिसी की एक कॉपी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी.

3 पॉलिसी की व्यावहरिकता और वैधता

यह पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूव की गई तारीख से लागू हो जाएगी. पॉलिसी को समय-समय पर और कम से कम वार्षिक आधार पर अपडेट करना होगा. कानूनों, विनियमों में परिवर्तन के कारण कुछ जोड़कर और संशोधन के माध्यम से पॉलिसी में किए गए किसी भी बदलाव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रिपोर्ट भेजकर तुरंत लागू किया जाएगा. यह ध्यान रहे कि इस डॉक्यूमेंट में बताई गई KYC – AML पॉलिसी, इस संबंध में (KYC – AML) किसी अन्य डॉक्यूमेंट/प्रक्रिया/सर्कुलर/लेटर/निर्देश में निहित किसी भी अन्य बात पर प्रभावी होगी. यह पॉलिसी कंपनी और ग्रुप कंपनियों के सभी कार्यक्षेत्र/प्रोडक्ट के लिए लागू होगी, चाहे वह मौजूदा हो या भविष्य में आने वाले हों.

4 परिभाषा:

"कस्टमर" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है, जो किसी विनियमित संगठन (RE) के साथ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन या गतिविधि में संलग्न है और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जिसकी ओर से ट्रांज़ैक्शन या गतिविधि में संलग्न

व्यक्ति कार्य कर रहा है. सम्मान कैपिटल लिमिटेड एक रजिस्टर्ड NBFC-NDSI है और इसलिए एक विनियमित संस्था (RE) है. SCL की गतिविधियों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को कस्टमर माना जाएगा

(i) उधारकर्ताओं में व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट या कंपनी, सह-उधारकर्ता, उधारकर्ता के गारंटर शामिल हैं.
(ii) SCL के साथ रजिस्टर्ड DSA, कलेक्शन एजेंट
(iii) पैनल में शामिल ब्रोकर, लॉ फर्म, तकनीकी परामर्शदाता, सॉफ्ट/हार्ड वायर सपोर्ट या कोई अन्य समान सेवा प्रदाता,
(iv) कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत कानूनी/तकनीकी सलाहकार
(v) इन्वेस्टर, शेयरहोल्डर.

5 पॉलिसी की प्रमुख बातें

कंपनी ने निम्नलिखित चार प्रमुख बातों को शामिल करके अपनी KYC पॉलिसी तैयार की है:

(i) कस्टमर स्वीकार्यता पॉलिसी;
(ii) कस्टमर पहचान प्रक्रिया;
(iii) ट्रांज़ैक्शन की निगरानी; और
(iv) जोखिम प्रबंधन

5.1 कस्टमर स्वीकार्यता पॉलिसी

SCL की कस्टमर स्वीकार्यता पॉलिसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के साथ कस्टमर के रिलेशनशिप से जुड़े निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश मौजूद है: -

- गुमनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम पर कोई अकाउंट नहीं खोला गया है.
- ऐसे किसी भी अकाउंट को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका नाम कंपनी की नकारात्मक सूची में दर्ज हो या UN-एंटी टेररिस्ट के एक्शन टस्क फोर्स और भारतीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर सर्कुलेट की गई व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में मौजूद हो
- जोखिम धारणा के मापदंडों को कस्टमर और उसके क्लाइंट के लोकेशन और भुगतान के तरीके, टर्नओवर, सामाजिक और फाइनेंशियल स्थिति आदि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ताकि कस्टमर को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया जा सके (SCL कोई भी उपयुक्त नामकरण चुन सकता है, जैसे लेवल I, लेवल II, लेवल III आदि); जिन कस्टमर के लिए उच्च श्रेणी की निगरानी की आवश्यकता होती है,

  उदाहरण के लिए, अगर आवश्यक समझा जाए, तो राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्तियों को इससे भी उच्च श्रेणी में रखा जा सकता है. स्वीकृति और पहचान के लिए, कस्टमर को व्यापक रूप से कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च-जोखिम श्रेणियों में बांटा जाता है: -

  (i) **कम जोखिम वाले कस्टमर:** इस पॉलिसी के उद्देश्य से इसमें ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल होंंगे, जिनकी पहचान और संपत्ति के स्रोत आसानी से पहचाने जा सकते हैं, उनकी आय संरचित हैं और जिनके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप है. कम जोखिम वाले कस्टमर के उदाहरण ये हो सकते हैं:

  (a) चेक या बैंक ट्रांसफर द्वारा भुगतान पाने वाले वेतनभोगी एप्लीकेंट.
  (b) सरकारी विभागों से जुड़े लोग,

(c) सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, नियामकों और वैधानिक निकायों आदि के साथ काम करने वाले लोग.
(d) समाज के निम्न आर्थिक वर्ग से संबंधित लोग, जिनके अकाउंट में कम बैलेंस और कम टर्नओवर दिखाई देता है, इस तरह ₹10 लाख तक के नए या मौजूदा लोन वाले उधारकर्ताओं को कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है.
(e) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ काम करने वाले लोग
(f) प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने वाले लोग.
(g) HNI के अलावा अन्य स्व-व्यवसायी प्रोफेशनल
(h) ₹1 करोड़ तक की वार्षिक आय वाले एप्लीकेंट
(i) ₹5 करोड़ तक की लोन राशि वाले वेतनभोगी एप्लीकेंट
(j) ₹10 करोड़ तक की लोन राशि वाले स्व-व्यवसायी एप्लीकेंट

(ii) **मध्यम जोखिम वाले कस्टमर** में ये शामिल होंगे:
(a) नॉन-हाउसिंग लोन लेने के इच्छुक वेतनभोगी एप्लीकेंट.
(b) अनिवासी वेतनभोगी एप्लीकेंट
(c) 3 वर्षों से अधिक के व्यावसायिक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति.
(d) ₹5 करोड़ से अधिक (₹25 करोड़ तक) की लोन राशि वाले वेतनभोगी एप्लीकेंट/ ₹10 करोड़ से अधिक (₹25 करोड़ तक) की लोन राशि वाले स्व-व्यवसायी एप्लीकेंट.
(e) 1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की वार्षिक आय वाले एप्लीकेंट
(f) क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग या लोन संरचना पर लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां.

(iii) **अधिक जोखिम वाले कस्टमर** वे कस्टमर होते हैं, जो हमारे लिए औसत से अधिक जोखिम उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं, उन्हें कस्टमर के बैकग्राउंड, गतिविधि के प्रकार और स्थान, मूल देश, फंड के स्रोत और उसकी क्लाइंट प्रोफाइल आदि के आधार पर अधिक जोखिम वाले कस्टमर में वर्गीकृत किया जा सकता है. कंपनी अपनी क्रेडिट रिस्क पॉलिसी और ऑपरेशन मैनुअल के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन के आधार पर मामले की विस्तृत जांच करती है. अधिक सावधानी की आवश्यकता और अधिक जोखिम वाले कस्टमर के उदाहरण इस प्रकार हैं:
(a) ₹ 5 करोड़ से अधिक की वार्षिक आय वाले एप्लीकेंट
(b) अनिवासी कस्टमर, जो वेतनभोगी नहीं हैं.
(c) ट्रस्ट, चैरिटी, NGO और दान प्राप्त करने वाले संगठन.
(d) क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, जिनकी लोन के लिए KYC नहीं की गई है.
(e) ₹25 करोड़ से अधिक की लोन राशि वाले एप्लीकेंट
(f) रियल एस्टेट (*), ज्वेलरी या सर्राफा बिज़नेस के नॉन-इंडिविजुअल एप्लीकेंट.
(g) विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्ति (PEP),
(h) जिन कस्टमर को आमने-सामने (फेस टू फेस) लोन प्रदान नहीं किया गया है
(i) उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले ग्रुप/सहयोगी कंपनियों के डायरेक्टर/प्रमोटर से संबंधित व्यक्ति.

** कमर्शियल/कॉर्पोरेट/बिल्डर लोन सेगमेंट के कस्टमर के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है और वर्गीकरण के लिए ऐसे कस्टमर के लिए आय और लोन राशि की लिमिट लागू नहीं होगी.

मानदंड

प्रोफाइल*	बिल्डर - प्रोजेक्ट कैश फ्लो के साथ	मध्यम
	बिल्डर - अन्य	अधिक जोखिम
	बुलियन ट्रेडिंग को छोड़कर अन्य बिज़नेस	मध्यम

- जहां कंपनी कस्टमर जांच और सत्यापन प्रक्रिया (CDD) लागू करने में असमर्थ है, यानी कंपनी कस्टमर के असहयोग करने या कंपनी को दिए गए डेटा/जानकारी की विश्वसनीयता नहीं होने के कारण जोखिम वर्गीकरण के अनुसार पहचान को सत्यापित करने और/या आवश्यक डॉक्यूमेंट प्राप्त करने में असमर्थ है, वहां अकाउंट नहीं खोलेगी या मौजूदा अकाउंट बंद कर देगी. जब कंपनी कस्टमर के संबंध में उपयुक्त CDD उपायों का पालन नहीं कर पा रही हो, तो आवश्यक होने पर, वह STR फाइल करने पर विचार करेगी.
- अनुमानित जोखिम और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, कस्टमर की विभिन्न कैटेगरी के संबंध में डॉक्यूमेंटेशन आवश्यकताएं और अन्य जानकारी प्राप्त की जाएगी. कस्टमर से डिक्लेरेशन ली जाएगी कि इस संबंध में कार्यवाही/ट्रांज़ैक्शन से PML एक्ट, 2002 और इस संबंध में नियमों का उल्लंघन नहीं होता है.
- जिन परिस्थितियों में, किसी कस्टमर को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, वह स्थापित कानून और नियम के अनुरूप होना चाहिए, और कस्टमर को संतोषजनक ढंग से उस कारण/अवसर को समझाने में सक्षम होना चाहिए कि किसी अकाउंट को किसी मैंडेट होल्डर द्वारा क्यों संचालित किया जाएगा या कोई अकाउंट किसी मध्यस्थ द्वारा विश्वासपात्र की क्षमता में क्यों खोला जाएगा
- कंपनी की एक स्टैंडर्ड कस्टमर पहचान प्रक्रिया होगी, जिसका अकाउंट खोलने से पहले पालन किया जाना चाहिए. नया अकाउंट खोलने से पहले आवश्यक जांच सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि कस्टमर की पहचान किसी भी ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ या सर्कुलर आदि में मौजूद किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठनों जैसी प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ मेल न खाए.
- समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के कस्टमर को पते का वर्तमान प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ छूट प्रदान की जा सकती है.
  - कंपनी इस पॉलिसी में उल्लिखित जोखिम वर्गीकरण और क्रेडिट जोखिम पॉलिसी के अनुसार, क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान प्रत्येक नए कस्टमर के लिए एक प्रोफाइल तैयार करेगी. कस्टमर की प्रोफाइल में कस्टमर की पहचान, सोशल/फाइनेंशियल स्थिति, बिज़नेस गतिविधि का प्रकार, उसके क्लाइंट के बिज़नेस और उनके लोकेशन आदि के बारे में जानकारी शामिल होगी. उचित जांच और सत्यापन का प्रकार और सीमा, कंपनी द्वारा महसूस किए गए जोखिम पर निर्भर करेगी. कस्टमर प्रोफाइल तैयार करते समय, कंपनी कस्टमर से केवल ऐसी जानकारी मांगेगी, जो जोखिम कैटेगरी से संबंधित है और हस्तक्षेप करने वाली न हो. कस्टमर से प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, कस्टमर से प्राप्त कोई अन्य जानकारी उनकी सहमति के साथ और अकाउंट खोलने के बाद अलग से मांगी जानी चाहिए. कस्टमर प्रोफाइल एक गोपनीय डॉक्यूमेंट होगी और उसमें मौजूद विवरण क्रॉस सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकट नहीं किया जाएगा.
- जॉइंट अकाउंट खोलते समय सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए CDD प्रक्रिया का पालन किया जाता है. अकाउंट खोलते समय और समय-समय पर अपडेशन के दौरान KYC उद्देश्य के लिए मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी इस पॉलिसी के आगामी सेक्शन में बताई गई है.
- अकाउंट खोलने के बाद कस्टमर की स्पष्ट सहमति से वैकल्पिक/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी होगी.
- अगर कोई मौजूदा KYC अनुपालक कस्टमर हमारे साथ दूसरा अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो फिर से CDD प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है.
- जहां स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) लिया जाता है, वहां उसे जारीकर्ता अथॉरिटी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा.

5.2 कस्टमर पहचान प्रक्रिया

कस्टमर पहचान का अर्थ होता है, CDD की प्रक्रिया शुरू करना, यानी बोर्ड द्वारा मान्य विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत डॉक्यूमेंट, डेटा या जानकारी का उपयोग करके कस्टमर की पहचान करना और उनकी पहचान सत्यापित करना. संतोषजनक लेवल तक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना, जो प्रत्येक नए कस्टमर की पहचान करने और उनके इच्छित बिज़नेस रिलेशनशिप प्रकार का उद्देश्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है, चाहे वह नियमित हो या कभी-कभार आने वाले हों. संतुष्टि का अर्थ उन सक्षम अधिकारियों को यह संतुष्टि प्रदान करने में सक्षम होना है कि कस्टमर के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में उचित सावधानी बरती गई है. कस्टमर की पहचान प्रक्रिया निम्न विभिन्न चरणों में अपनाई जाएगी: -

(a) कस्टमर के साथ अकाउंट आधारित रिलेशनशिप की शुरुआत के समय.
(b) कस्टमर पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सच्चाई या पर्याप्तता के बारे में कोई संदेह होने पर कस्टमर पहचान डेटा प्राप्त करना.
(c) थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को एजेंट के रूप में बेचना, अपने स्वयं के प्रोडक्ट और किसी अन्य प्रोडक्ट को पचास हजार रुपये से अधिक में बेचना.

कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अकाउंट-आधारित रिलेशनशिप शुरू करते समय कस्टमर की पहचान सत्यापित करने के लिए किसी थर्ड पार्टी द्वारा की गई CDD पर भरोसा कर सकती है:

(a) थर्ड पार्टी द्वारा कस्टमर के लिए रिकॉर्ड किए गए विवरण या सत्यापन संबंधी जानकारी तुरंत थर्ड पार्टी से या सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री से प्राप्त की जाएंगी.
(b) कंपनी द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं कि कस्टमर जांच और सत्यापन आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी अनुरोध पर बिना किसी देरी के थर्ड पार्टी से प्राप्त की जाएंगी.
(c) मनी-लॉन्डरिंग एक्ट के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप, कस्टमर जांच और सत्यापन और रिकॉर्ड-रखने की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए थर्ड पार्टी को विनियमित किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है या उन पर निगरानी रखी जाती है और उनके पास उपाय मौजूद होते हैं.
(d) थर्ड पार्टी को उच्च जोखिम वाले किसी देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं होना चाहिए.
(e) किसी थर्ड पार्टी द्वारा CDD किए जाने की मुख्य जिम्मेदारी कंपनी की होगी, जिसमें लागू बेहतर जांच और सत्यापन प्रक्रिया के उपाय अपनाना शामिल है.

UAPA, 1967 के सेक्शन 51A का कार्यान्वयन: सुरक्षा परिषद संकल्प 1988(2011) और UNSCR 1718 प्रतिबंधित सूची और अन्य UNSCR के अनुसार, UNSC की 1267/1989 ISIL (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंधित सूची, तालिबान प्रतिबंधित सूची का अपडेट.

आरबीआई सर्कुलर दिनांक 24.03.2021 के अनुसार, सभी विनियमित संस्थाओं को गैरकानूनी गतिविधियां (प्रिवेंशन) (UAPA) एक्ट, 1967 के सेक्शन 51A के संबंध में सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं
यानी उन व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, जिन पर आतंकवादियों से जुड़े होने का संदेह है, जिनका नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और आरबीआई द्वारा सर्कुलेट किए गए अन्य UNSCR द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर सर्कुलेट किया जाता है और दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967, (UAPA) ऑर्डर में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना भी होगा.

उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: -

- UNSC द्वारा प्रतिबंधित सूची और प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ टेररिज्म (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) ऑर्डर, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूची को हर दिन चेक किया जाएगा और सूची में जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को RE द्वारा सतर्क अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा.
- उपरोक्त व्यक्तियों/संस्थानों की अपडेटेड सूची इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेंटेन करना.
- सभी नए कस्टमर के एप्लीकेशन को उपरोक्त सूची के साथ मिलान के लिए जांचा जाएगा.
- सभी मौजूदा कस्टमर के लिए समय-समय पर जांच की जानी चाहिए.
- अगर किसी तरह का मेल पाया जाता है, तो इसकी आगे जांच की जाएगी और फ्रॉड कंट्रोल यूनिट द्वारा आवश्यक रिपोर्ट भेजी जाएगी और ऐसे कस्टमर के विवरण के बारे में FIU-IND, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के UAPA नोडल अधिकारी और गृह मंत्रालय (MHA) को सूचित किया जाएगा.
- इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में FIU-IND के साथ संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन रिपोर्ट (STR) भी दर्ज करना होगा.
- स्पष्ट रूप से मेल खाने पर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन (जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है) के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो कंपनी प्रभावी उपाय करेगी

PML नियमों के नियम 9 के प्रावधान के अनुसार, अकाउंट खोलने/ट्रांज़ैक्शन करने के बाद उचित समय के भीतर क्लाइंट की पहचान सत्यापित करने में दी गई छूट वापस ले ली गई है. साथ ही, जैसा कि नियम 9 में निर्देशित है, अधिकारी लाभकारी मालिक की पहचान करेंगे और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे. जैसा कि इस नियम में आवश्यक है, अधिकारियों को प्रत्येक क्लाइंट के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप में लगातार उचित सावधानी बरतनी होगी और ट्रांज़ैक्शन की बारीकी से जांच करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें कस्टमर, उनके बिज़नेस और जोखिम प्रोफाइल और फंड/संपत्ति के स्रोत के बारे में सही जानकारी है.

कंपनी को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 सितंबर, 2023 के ऑर्डर के अनुपालन के लिए पर्याप्त उपाय करने होंगे, जिसका शीर्षक- "सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) एक्ट, 2005 (WMD एक्ट, 2005) के सेक्शन 12A के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" है, साथ ही WMD एक्ट, 2005 के सेक्शन 12A के तहत निर्दिष्ट सूची के तहत नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के अकाउंट, फाइनेंशियल एसेट आदि को फ्रीज़/अनफ्रीज़ करने के लिए, हितधारकों से जुड़ी निम्न आवश्यकताओं और कार्रवाई को पूरा किया जाएगा:-

I. अगर व्यक्ति/संस्थान का विवरण निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण से मेल खाता है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रांज़ैक्शन न किया जाए.

II. कंपनी, किसी कस्टमर के साथ जुड़ते समय और समय-समय पर दिए गए मापदंडों के अनुसार यह सत्यापित करने के लिए जांच करेगी कि क्या निर्दिष्ट सूची में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के पास बैंक अकाउंट आदि के रूप में कोई फंड, फाइनेंशियल एसेट आदि है.

III. उपरोक्त मामलों में मेल खाने की स्थिति में, कंपनी तुरंत WMD एक्ट, 2005 के सेक्शन 12A के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी (CNO) को संबंधित फंड, फाइनेंशियल एसेट या आर्थिक संसाधनों के पूरे विवरण के साथ ट्रांज़ैक्शन विवरण की सूचना देगी. सूचना की एक कॉपी उस राज्य के नोडल अधिकारी को, जहां अकाउंट/ट्रांज़ैक्शन हुआ है और आरबीआई को भेजी जाएगी. RE को FIU-IND के पास एक STR फाइल करना होगा, जिसमें ऊपर

बताए गए अकाउंट में किए गए या इसके माध्यम से करने का प्रयास किए गए सभी ट्रांज़ैक्शन शामिल होंगे.

IV. RE, FIU-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित निर्दिष्ट सूची देख सकते हैं.

V. अगर संदेह पर विश्वास करने के पूरे कारण हैं, कि कस्टमर द्वारा धारित फंड या एसेट WMD एक्ट, 2005 के सेक्शन 12A के सब-सेक्शन (2) के क्लॉज (a) या (b) के दायरे में आते हैं, तो RE ऐसे व्यक्ति/संस्था को फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करने से रोकेगी और बिना देरी के ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा CNO को सूचित करेगी.

VI. अगर RE को CNO से सेक्शन 12A के तहत एसेट को फ्रीज़ करने का ऑर्डर मिलता है, तो RE को बिना किसी देरी के, ऑर्डर का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी.

VII. फंड को अनफ्रीज़ करने की प्रक्रिया आदि, ऑर्डर के पैराग्राफ 7 के अनुसार पूरी की जाएगी. किसी व्यक्ति/संगठन से अनफ्रीज़ करने के संबंध में प्राप्त एप्लीकेशन की कॉपी, एप्लीकेंट द्वारा फ्रीज किए गए एसेट के बारे में दिए गए पूरे विवरण के साथ, RE द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा CNO को भेजी जाएगी.

इसलिए, बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड कस्टमर पहचान पॉलिसी का विभिन्न चरणों में, यानी रिलेशनशिप स्थापित करते समय सख्ती से पालन किया जाना चाहिए; जब भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करना हो या जब कंपनी को पहले से प्राप्त कस्टमर पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सच्चाई या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो.

कंपनी को अपनी संतुष्टि के लिए, प्रत्येक नए कस्टमर (चाहे वह नियमित हों या कभी-कभार वाले) की पहचान स्थापित करने के लिए और उनके इच्छित प्रकार के रिलेशनशिप का उद्देश्य स्थापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी होगी. PML नियमों के नियम 9 और आरबीआई और आरबीआई के निर्देश, विभिन्न प्रकार के कस्टमर, यानी व्यक्तियों, कंपनियों, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अनिगमित संगठन या व्यक्तियों के निकाय (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स) और न्यायिक व्यक्तियों की पहचान के लिए प्राप्त किए जाने वाले डॉक्यूमेंट/जानकारी का प्रावधान करते हैं. SCL के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त नियम के प्रावधानों पर ध्यान दें और अनुपालन सुनिश्चित करें.

उक्त नियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कस्टमर पहचान की आवश्यकताएं पॉलिसी में दी गई हैं.

कस्टमर की पहचान के लिए जिन डॉक्यूमेंट/जानकारी के स्वरूप और प्रकार पर निर्भर हो सकते हैं, उनकी सूची अनुलग्नक-I में दी गई है. अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं से निपटने के अपने अनुभव, सामान्य विवेक से और यहां निर्धारित तथा नियामकों और कानूनों द्वारा समय-समय पर संशोधित कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर, इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

कंपनी निम्नलिखित कार्य करने के लिए V-CIP (वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस) कर सकती है:-

i) व्यक्तिगत कस्टमर के रूप में नए कस्टमर के ऑन-बोर्डिंग के मामले में CDD, स्वामित्व वाली फर्म के मामले में मालिक, कानूनी इकाई (LE) वाले कस्टमर के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और लाभकारी मालिक (BO). बशर्ते कि स्वामित्व वाली फर्म के CDD के मामले में, RE को मालिक की CDD करने के अलावा, सेक्शन 28 में उल्लिखित स्वामित्व वाली फर्म के संबंध में गतिविधि प्रमाणों के लिए योग्य ई-डॉक्यूमेंट भी प्राप्त करने होंगे.

ii) सेक्शन 17 के अनुसार, आधार OTP आधारित e- KYC प्रमाणीकरण का उपयोग करके नॉन-फेस टू फेस

मोड में खोले गए मौजूदा अकाउंट का कन्वर्ज़न. iii) पात्र कस्टमर के लिए KYC का अपडेशन/समय-समय पर अपडेट करना.

ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया के संबंध में, नियामक द्वारा जारी निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ इस तरह के V-CIP को किया जाएगा और पूरा किया जाएगा.

5.2.1 कस्टमर जांच और सत्यापन प्रक्रिया (CDD)

कस्टमर जांच और सत्यापन प्रक्रिया का अर्थ है, कस्टमर की पहचान करना, उनकी पहचान का सत्यापन करना, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके पहचाने गए ML/TF जोखिमों और बिज़नेस के आकार को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इरादे के बारे में जानकारी प्राप्त करना. कस्टमर के साथ अकाउंट-आधारित रिलेशनशिप की शुरुआत में इसे किया जाना आवश्यक है. अकाउंट आधारित रिलेशनशिप शुरू करने के समय या पचास हजार रुपए के बराबर या उससे अधिक की राशि का कभी-कभार ट्रांज़ैक्शन करते समय CDD (चाहे वह एक या कई ट्रांज़ैक्शन हो, जो आपस में जुड़े हुए लग रहे हों, या किसी भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऑपरेशन के रूप में किया गया हो) के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

a. जहां लागू हो, कस्टमर की पहचान करना, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन करना, बिज़नेस रिलेशनशिप के उद्देश्य और इच्छित प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना;
b. कस्टमर के बिज़नेस का स्वरूप और उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;
c. यह निर्धारित करना कि कोई कस्टमर लाभकारी मालिक के बदले में कार्य कर रहे हैं, और लाभकारी मालिक की पहचान करना और पहचान करने के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके लाभकारी मालिक की पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठाना.

व्यक्ति की विभिन्न कैटेगरी की पहचान और पते को सत्यापित करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट/जानकारी अनुलग्नक-I में दर्ज हैं. सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का अर्थ होता है, क्लाइंट द्वारा प्रदान किए गए डॉक्यूमेंट की कॉपी की तुलना मूल से करना और कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा उसकी कॉपी पर उसे दर्ज करना. कस्टमर द्वारा प्रदान किए गए सभी डॉक्यूमेंट (एप्लीकेंट/को-एप्लीकेंट/गारंटर और अन्य संबंधित पार्टी के लिए) के मूल कॉपी को देखा जाना चाहिए और SCL कर्मचारी/सोर्सिंग चैनल पार्टनर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, जो OSV करने के लिए अधिकृत हैं और "मूल देखा और सत्यापित किया" स्टाम्प के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार हैं:

- जहां कस्टमर, अकाउंट आधारित रिलेशनशिप स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए, CKYCR से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ, कंपनी को KYC पहचान जमा करते हैं, तो उनका

  KYC पहचानकर्ता का उपयोग करके CKYCR से KYC रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और कस्टमर को वही KYC रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान डॉक्यूमेंट या विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि –

  (i) CKYCR के रिकॉर्ड में मौजूद कस्टमर की जानकारी में परिवर्तन हुआ है;
  (ii) कस्टमर के वर्तमान पते को सत्यापित करना आवश्यक है;
  (iii) कंपनी कस्टमर की पहचान या पते को सत्यापित करने, या अधिक सावधानी बरतने या क्लाइंट की उपयुक्त जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए इसे आवश्यक मानती है.
- अन्य मामलों में, ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आधार एक्ट के सैक्शन 7 के तहत अधिसूचित किसी भी स्कीम के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, तो उस पर KYC डॉक्यूमेंट के रूप में आधार जमा करने पर जोर नहीं दिया जाएगा.

- SCL के साथ पहले से ही अकाउंट आधारित रिलेशनशिप रखने वाले कस्टमर को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख पर अपना स्थायी अकाउंट नंबर (पैन) या फॉर्म नंबर 60 जमा करना होगा, ऐसा नहीं करने पर कस्टमर द्वारा स्थायी अकाउंट नंबर या फॉर्म नंबर 60 जमा करने तक अकाउंट का संचालन अस्थायी रूप से बंद रहेगा. कस्टमर के अकाउंट के संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने से पहले, उचित सूचना दी जाएगी और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा. "किसी अकाउंट के संबंध में संचालन को अस्थायी रूप से बंद करने का मतलब है कस्टमर के इस प्रावधान का पालन करने तक, उसके अकाउंट से संबंधित सभी ट्रांज़ैक्शन या गतिविधियों (क्रेडिट को छोड़कर) का अस्थायी निलंबन.
- अगर अकाउंट आधारित रिलेशनशिप रखने वाले कोई मौजूदा कस्टमर, SCL को लिखित रूप में यह जानकारी देते हैं कि वह अपना स्थायी अकाउंट नंबर या फॉर्म नंबर 60 (जैसा भी मामला हो) जमा नहीं करना चाहते हैं, तो कस्टमर का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और कस्टमर की पहचान स्थापित करने के बाद अकाउंट के संबंध में देय सभी दायित्व उचित रूप से सेटल किए जाएंगे. कस्टमर को अपना अकाउंट खोलते समय इस प्रावधान के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा.
- अगर कस्टमर किसी चोट, बीमारी या बुढ़ापे की समस्या या अन्य ऐसे ही कारणों से होने वाली अशक्तता के कारण पैन या फॉर्म 60 प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो उनके अकाउंट का संचालन जारी रखा जाएगा.

5.2.1.1 लाभकारी मालिक की पहचान के लिए CDD प्रक्रिया

किसी कानूनी व्यक्ति का अकाउंट खोलने के लिए, जो व्यक्ति नहीं है, उसके लाभार्थी मालिक की पहचान की जाएगी और उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे:

- जहां कस्टमर या नियंत्रणकारी हित के मालिक की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी है, या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों के किसी भी शेयरहोल्डर या लाभकारी मालिक की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है.
  CDD में सीनियर मैनेजमेंट पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का पता, और बिज़नेस का मुख्य स्थान (अगर अलग-अलग हैं) शामिल होंगे.

- ट्रस्ट/नॉमिनी या फिडुशियरी अकाउंट के मामलों में, यह निर्धारित किया जाता है कि कहीं कस्टमर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ट्रस्टी/नॉमिनी या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में कार्य तो नहीं कर रहे हैं. ऐसे मामलों में, मध्यस्थों और उन व्यक्तियों की पहचान के पुख्ता साक्ष्य (जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं) और ट्रस्ट का प्रकार या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा.
  CDD में लाभार्थियों, ट्रस्टी, व्यवस्थापक, संरक्षक, अगर कोई हो और ट्रस्ट के संस्थापक के नाम, ट्रस्ट के रजिस्टर्ड ऑफिस का पता और ट्रस्टी की सूची शामिल की जाएगी.

लाभकारी मालिक (BO) की परिभाषा:

- जहां क्लाइंट एक कंपनी है, लाभकारी मालिक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ काम कर रहे हैं या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, नियंत्रित रूप से स्वामित्व हित रखते हैं या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखते हैं. **स्पष्टीकरण**: - इस सब-क्लॉज के उद्देश्य के लिए-
  1. "नियंत्रणकारी स्वामित्व हित" का अर्थ है कंपनी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ का स्वामित्व या अधिकार;
  2. "नियंत्रण" में अधिकांश डायरेक्टर्स को नियुक्त करने या उनकी शेयरहोल्डिंग या मैनेजमेंट अधिकारों या शेयरहोल्डर एग्रीमेंट या वोटिंग एग्रीमेंट के आधार पर मैनेजमेंट या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;
  3. BO की पहचान से छूट: जहां कस्टमर या नियंत्रणकारी हित का मालिक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध संस्था है, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में निवासी संस्था है और ऐसे अधिकार

क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, या ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है.

- जहां क्लाइंट एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां लाभार्थी मालिक वे व्यक्ति होते हैं, जो अकेले या किसी के साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहे हों और पार्टनरशिप के दस प्रतिशत से अधिक पूंजी या मुनाफे पर स्वामित्व/अधिकार रखते हों;
  CDD में सभी पार्टनर के नाम और रजिस्टर्ड ऑफिस का पता और अगर उनके बिज़नेस का मुख्य स्थान

  अलग-अलग हो, तो वह भी शामिल होना चाहिए.

- जहां क्लाइंट एक अनिगमित संगठन या व्यक्तियों का निकाय (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल) है, वहां लाभकारी मालिक वे व्यक्ति हैं, जो अकेले या किसी के साथ या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से काम कर रहे हों, जिनके पास संगठन या व्यक्तियों का निकाय (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल) की प्रॉपर्टी या कैपिटल या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है;
  स्पष्टीकरण: -'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' शब्द में सोसायटी शामिल हैं. जहां ऊपर उल्लिखित मामलों के तहत किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, वहां लाभकारी मालिक प्रासंगिक व्यक्ति होता है, जो सीनियर मैनेजिंग अधिकारी का पद धारण करता है.

- जहां कस्टमर एक ट्रस्ट है, वहां लाभकारी मालिक की पहचान में ट्रस्ट के संस्थापक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में दस प्रतिशत या अधिक हित रखने वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की पहचान को करना शामिल होगा.

5.2.2 बेहतर जांच और सत्यापन प्रक्रिया के उपाय

- **नॉन-फेस-टू-फेस कस्टमर** (आधार OTP आधारित ऑन-बोर्डिंग के अलावा) **के अकाउंट:** नॉन-फेस-टू-फेस कस्टमर का अर्थ उन कस्टमर से है, जो ब्रांच/ऑफिस में जाए बिना या कंपनी के अधिकारी से मिले बिना अकाउंट खोलते हैं. नॉन-फेस टू फेस कस्टमर की बेहतर जांच के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान पते का सत्यापन किया जाए और पुष्टि की जाए, पैन प्राप्त किया जाए और पहला भुगतान कस्टमर के KYC-अनुपालित अकाउंट के माध्यम से किया जाए, और V-CIP के माध्यम से या फेस टू फेस पहचान के सत्यापित होने तक उन्हें उच्च जोखिम कैटेगरी का माना जाएगा.

- **राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्तियों (PEP) के अकाउंट**: राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्ति (PEP) ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो प्रमुख सार्वजनिक कार्यों, जैसे राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी, आदि होते हैं या उन्हें ये कार्य सौंपे गए होते हैं. ऐसे PEP (उन अकाउंट सहित जहां PEP लाभार्थी स्वामी हैं) और PEP के परिवार के सदस्यों या निकटतम सहयोगियों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंध स्थापित करने की अनुमति है: -
  (a) PEP के परिवार के सदस्यों और करीबी रिश्तेदारों के फंड अकाउंट के स्रोतों के विवरण सहित पर्याप्त अन्य जानकारी जुटाई गई है और फंड/धन के स्रोत की साबित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं.
  (b) PEP को कस्टमर के रूप में स्वीकार करने से पहले व्यक्ति की पहचान सत्यापित की जाएगी,
  (c) PEP के लिए अकाउंट खोलने का निर्णय कंपनी की कस्टमर स्वीकार्यता पॉलिसी के अनुसार सीनियर लेवल पर लिया जाता है.
  (d) ऐसे सभी अकाउंट निरंतर आधार पर बढ़ाई गई निगरानी के अधीन होते हैं.
  (e) किसी मौजूदा कस्टमर या मौजूदा अकाउंट के लाभकारी मालिक के बाद में PEP बन जाने की स्थिति

में, बिज़नेस रिलेशनशिप जारी रखने के लिए सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लिया जाता है;

(f) PEP पर CDD प्रक्रिया लागू होती है, जिसमें निरंतर आधार पर बेहतर निगरानी रखना शामिल है.

- **प्रोफेशनल मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा खोले गए कस्टमर के अकाउंट:** प्रोफेशनल मध्यस्थ व्यक्ति के माध्यम से कस्टमर के अकाउंट खोलते समय, निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए: -

(a) जब किसी सिंगल क्लाइंट की ओर से किसी प्रोफेशनल मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा क्लाइंट का अकाउंट खोला जाता है, तो कस्टमर की पहचान की जाएगी.

(b) कंपनी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य प्रकार के फंड जैसी संस्थाओं की ओर से प्रोफेशनल मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा मैनेज किए जाने वाले 'पूल्ड' अकाउंट होल्ड कर सकती है.

(c) ऐसे प्रोफेशनल मध्यस्थ व्यक्ति के अकाउंट न खोलें, जो किसी भी क्लाइंट की गोपनीयता के नियम से बंधे हुए हैं, जो क्लाइंट की जानकारी कंपनी को देने से रोकती है.

(d) उन सभी लाभकारी मालिकों की पहचान की जाएगी, जहां मध्यस्थों द्वारा रखे गए फंड को कंपनी के लेवल पर सह-मिश्रित नहीं किया जाता है, और वहां 'सब अकाउंट' होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक लाभकारी मालिक के लिए निश्चित किए गए हैं, या जहां कंपनी के लेवल पर ऐसे फंडों का सह-मिश्रण किया जाता है, तो लाभकारी मालिकों की पहचान की जानी चाहिए.

(e) किसी मध्यस्थ द्वारा किए गए CDD पर निर्भर रहने के लिए, शर्त है कि मध्यस्थ एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्थान हो और उसके पास कस्टमर की KYC आवश्यकताओं का पालन करने के लिए पर्याप्त सिस्टम हो.

(f) कस्टमर को जानने की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी की है.

5.2.3 निरंतर उचित जांच और सत्यापन प्रक्रिया

निरंतर उचित जांच और सत्यापन करने का मतलब अकाउंट के ट्रांज़ैक्शन की नियमित निगरानी करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कस्टमर की प्रोफाइल और फंड के स्रोत के अनुरूप हैं. निरंतर निगरानी प्रभावी KYC प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है. अधिकारियों को कस्टमर की सामान्य और उचित गतिविधि की समझ रखकर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और जोखिम को कम करना चाहिए, ताकि उनके पास गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर होने वाले ट्रांज़ैक्शन की पहचान करने के साधन हों. निगरानी की सीमा प्रत्येक अकाउंट की जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी.

(a) उन सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े ट्रांज़ैक्शन और सभी असामान्य पैटर्न पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या प्रत्यक्ष कानूनी उद्देश्य नहीं है.

(b) अकाउंट के जोखिम वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर रिव्यू की जानी चाहिए.

(c) जोखिम वर्गीकरण के उद्देश्य से, वे व्यक्ति (उच्च निवल संपत्ति के अलावा) और संस्थाएं, जिनकी पहचान और संपत्ति के स्रोतों को आसानी से पहचाना जा सकता है और जिनके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, उन्हें कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. कम जोखिम वाले कस्टमर के उदाहरण वेतनभोगी कर्मचारी हो सकते हैं, जिनकी वेतन संरचना पता होती है, समाज के निम्न आर्थिक तबके के लोग, जिनके अकाउंट में कम बैलेंस और कम टर्नओवर दिखाई देता है, साथ ही सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और वैधानिक निकाय आदि होते हैं.

(d) जिन कस्टमर से औसत से अधिक जोखिम होने की संभावना है, उन्हें कस्टमर की पृष्ठभूमि, गतिविधि के प्रकार और लोकेशन, मूल देश, फंड के स्रोत और उनके कस्टमर प्रोफाइल आदि के आधार पर मध्यम या उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बेहतर जांच और सत्यापन प्रक्रिया के उपाय को लागू किया जाना चाहिए, जिससे उच्च जोखिम वाले कस्टमर के लिए

अत्यधिक 'जांच-पड़ताल' की जाए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके फंड के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं.

(e) अधिक जांच और सत्यापन की आवश्यकता वाले कस्टमर के उदाहरण में निम्न शामिल हैं: -

- नॉन-रेसिडेंट कस्टमर,
- उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति,
- ट्रस्ट, चैरिटी, NGO और दान प्राप्त करने वाले संगठन,
- क्लोज फैमिली शेयरहोल्डिंग या लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियां,
- 'स्लीपिंग पार्टनर' वाली फर्म',
- विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्ति (PEP),
- नॉन फेस टू फेस कस्टमर, और
- उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार जिनकी प्रतिष्ठा संदिग्ध है, आदि.

मौजूदा कस्टमर के जोखिम वर्गीकरण को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर हर साल रिव्यू किया जाना चाहिए और उच्च जोखिम वाले कस्टमर के अलावा, जहां भी लागू हो, आवश्यक पुन: वर्गीकरण (या तो अपग्रेड या डाउनग्रेड) अर्धवार्षिक रूप से किया जाना चाहिए.

क्रमांक	पैरामीटर	मौजूदा कैटेगरी	नई कैटेगरी
1	UN की प्रतिबंधित सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	अधिक
		मध्यम	अधिक
2	CTR/STR/फ्रॉड सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	अधिक
		मध्यम	अधिक
3	पिछले 12 महीनों में 3 या उससे अधिक बार EMI का भुगतान कैश में किया गया है	कम	मध्यम
		मध्यम	अधिक

कमर्शियल/कॉर्पोरेट/बिल्डर लोन सेगमेंट के कस्टमर के लिए रिव्यू पैरामीटर

क्रमांक	पैरामीटर	मौजूदा कैटेगरी	नई कैटेगरी
1	UN की प्रतिबंधित सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	अधिक
		मध्यम	अधिक
2	UN CTR/STR/फ्रॉड सूची के साथ कोई भी मिलान	कम	अधिक
		मध्यम	अधिक

5.2.4 KYC डॉक्यूमेंट को समय-समय पर अपडेट करना

समय-समय पर अपडेट करने का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है कि CDD प्रक्रिया के तहत प्राप्त डॉक्यूमेंट, डेटा या जानकारी को मास्टर डायरेक्शन के तहत निर्धारित अवधि पर, मौजूदा रिकॉर्ड का रिव्यू करके जोखिम आधारित दृष्टिकोण के अनुसार, अपडेट और प्रासंगिक रखा जाए. इसे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार अकाउंट खोलने/KYC के अंतिम सत्यापन की तारीख से, उच्च जोखिम वाले कस्टमर के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले कस्टमर के लिए हर आठ साल में एक बार और कम जोखिम वाले कस्टमर के लिए हर दस साल में एक बार किया जाना चाहिए:

i. इंडिविजुअल कस्टमर:

a) **KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में कस्टमर से सेल्फ-डिक्लेरेशन SCL के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर की ईमेल-ID, SCL के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर का मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन वेबसाइट लॉग-इन, मोबाइल एप्लीकेशन), लेटर आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी.

b) **पते में परिवर्तन:** केवल कस्टमर के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, SCL के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर की ईमेल-ID, RE के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर के मोबाइल नंबर, SCL के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन वेबसाइट लॉग-इन, मोबाइल एप्लिकेशन), लेटर इत्यादि के माध्यम से कस्टमर से नए पते की सेल्फ-डिक्लेरेशन प्राप्त की जाएगी और बताए गए पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलीवर किए जाने वाली वस्तुओं इत्यादि द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

इसके अलावा, कस्टमर पते के प्रमाण के लिए OVD या डीम्ड OVD या उसके समान ई-डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जमा कर सकते हैं, जिसकी घोषणा कस्टमर द्वारा आवधिक अपडेशन के समय की जाती है.

आधार OTP के अनुसार e-KYC, जो आमने-सामने से न की गई हो, उसका उपयोग समय-समय पर अपडेशन के लिए किया जा सकता है. अगर वर्तमान पता, आधार के पते से अलग है, तो वर्तमान पते की घोषणा के लिए सकारात्मक पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही हो, जो कस्टमर की प्रोफाइल में उपलब्ध है, ताकि किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके.

ii.व्यक्तियों के अलावा अन्य कस्टमर:

a) **KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** LE कस्टमर की KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, LE कस्टमर से SCL के साथ रजिस्टर्ड उसकी ईमेल ID, SCL के साथ रजिस्टर्ड कस्टमर के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन वेबसाइट लॉग-इन, मोबाइल एप्लिकेशन), इस संबंध में LE द्वारा अधिकृत अधिकारी के पत्र, बोर्ड प्रस्ताव आदि के माध्यम से इस संबंध में एक सेल्फ-डिक्लेरेशन प्राप्त की जाएगी. इसके अलावा, उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (BO) की जानकारी को सत्यापित किया जाना चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह सटीक है और यथासंभव अप-टू-डेट रखने के लिए अगर आवश्यक हो, तो इसे अपडेट किया जाना चाहिए.

b) **KYC जानकारी में बदलाव:** KYC जानकारी में बदलाव के मामले में, नए LE कस्टमर को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

अतिरिक्त उपाय: उपरोक्त के अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

I. कस्टमर का पैन विवरण, अगर उपलब्ध हो, उसे KYC के आवधिक अपडेशन के समय जारीकर्ता अथॉरिटी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा.

II. वर्तमान CDD स्टैंडर्ड के अनुसार कस्टमर के KYC डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, यह तब भी लागू होता है, जब कस्टमर की जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन SCL के पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट वर्तमान CDD स्टैंडर्ड के अनुसार न हों. इसके अलावा, अगर KYC के आवधिक अपडेट के समय SCL के पास उपलब्ध CDD डॉक्यूमेंट की वैधता समाप्त हो गई है, तो SCL नए कस्टमर को शामिल करने के लिए लागू KYC प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनाएगा

III. समय-समय पर अपडेट करने के लिए, कस्टमर से सेल्फ-डिक्लेरेशन सहित संबंधित डॉक्यूमेंट प्राप्त होने की तारीख का उल्लेख करते हुए कस्टमर को पावती प्रदान की जाती है. इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि KYC के समय-समय पर अपडेशन के समय कस्टमर से प्राप्त जानकारी/डॉक्यूमेंट को SCL के रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और KYC विवरण के अपडेट होने की तारीख का उल्लेख करते हुए कस्टमर को सूचना प्रदान की जाए.

IV. KYC के आवधिक अपडेशन की सुविधा निर्धारित ब्रांच में उपलब्ध होगी.

जहां कंपनी कस्टमर द्वारा जानकारी प्रदान न किए जाने और/या असहयोग के कारण उपयुक्त KYC प्रक्रिया को लागू नहीं कर पा रही है, वहां कंपनी, कस्टमर को ऐसा निर्णय लेने के कारण बताते हुए नोटिस जारी करने के बाद अकाउंट बंद करने या बिज़नेस रिलेशनशिप को समाप्त करने पर विचार कर सकती है. ऐसे निर्णय यथोचित सीनियर लेवल पर लिए जाने की आवश्यकता होती है.

कस्टमर को सलाह दी जाएगी कि PML नियमों का पालन करने के लिए, बिज़नेस रिलेशनशिप/अकाउंट आधारित रिलेशनशिप स्थापित करते समय और उसके बाद, कस्टमर द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट में किसी

भी तरह का अपडेट होने पर, आवश्यकता के अनुसार, कस्टमर कंपनी को ऐसे अपडेट डॉक्यूमेंट जमा करेंगे. यह कंपनी के रिकॉर्ड को अपडेट करने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट में अपडेट होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.

5.3 जोखिम प्रबंधन

इस पॉलिसी का उद्देश्य उपयुक्त प्रक्रिया की स्थापना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करके एक प्रभावी KYC प्रोग्राम सुनिश्चित करना है. दिन-प्रतिदिन के कामकाज और कस्टमर के साथ बातचीत में शामिल अधिकारियों, और साथ ही उनकी निगरानी करने वाले प्रशासनिक कार्यालय के अधिकारियों के पास उचित मैनेजमेंट निरीक्षण की क्षमता, सिस्टम और कंट्रोल, जिम्मेदारियों को सौंपने की क्षमता, ट्रेनिंग और अन्य संबंधित साधन होने चाहिए. KYC प्रोग्राम की जिम्मेदारियों का वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के भीतर जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बांटा जाना चाहिए, ताकि पॉलिसी और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.

बोर्ड अपने मौजूदा और नए कस्टमर की जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए प्रोसीज़र तैयार करेगा और ट्रांज़ैक्शन, अकाउंट या बिज़नेस रिलेशनशिप में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों को लागू करेगा.

5.3.1 जोखिम आधारित दृष्टिकोण

SCL के जोखिम-आधारित दृष्टिकोण में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

- कस्टमर को मूल्यांकन और जोखिम की धारणा के आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली कैटेगरी में बांटा जाएगा.
- कस्टमर की पहचान, सामाजिक/फाइनेंशियल स्थिति, बिज़नेस गतिविधि का प्रकार और कस्टमर के बिज़नेस और उनके लोकेशन आदि के बारे में जानकारी जैसे पैरामीटर के आधार पर जोखिम का वर्गीकरण किया जाएगा. कस्टमर की पहचान पर विचार करते समय, ऑनलाइन या डॉक्यूमेंट जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान डॉक्यूमेंट की पुष्टि करने की क्षमता को भी कारकों में शामिल किया जा सकता है.

- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा एंटी मनी लॉन्डरिंग (AML) संबंधी मानकों और आतंकवाद की फाइनेंसिंग (CFT) का मुकाबला करने से संबंधित मानकों पर की गई सिफारिशों को भी जोखिम के आकलन में ध्यान में रखा जाना चाहिए
- कंपनी उन देशों के मान्य और कानूनी व्यक्तियों (फाइनेंशियल संस्थानों सहित) के साथ बिज़नेस रिलेशनशिप और ट्रांज़ैक्शन के लिए बेहतर जांच और सत्यापन प्रक्रिया के उपाय लागू करेगी, जहां जोखिम प्रभावी और अधिक होने की संभावना है, जिनके लिए FATF द्वारा इसकी मांग की गई है.
- समय-समय पर विभिन्न कैटेगरी के कस्टमर से कथित जोखिम के संबंध में ली गई कोई भी अन्य जानकारी गैर-दखल देने वाली होती है और उसे यहां बताया जा सकता है.

उदाहरण के रूप में मार्गदर्शन के उद्देश्य से हाउसिंग/ बिल्डर/प्रोजेक्ट लोन में संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन की सूची (यह संपूर्ण नहीं है) अनुलग्नक-II में प्रदान की गई है.

5.3.2 इंटरनल मनी लॉन्डरिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट: -

20 अप्रैल, 2020 के आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, कंपनी को क्लाइंट, देश या भौगोलिक क्षेत्रों, प्रोडक्ट, सेवाओं, ट्रांजैक्शन या डिलीवरी चैनल आदि से संबंधित सेवाओं में मनी लॉन्डरिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जोखिम को कम करने के लिए, उनकी पहचान, आकलन करने के लिए और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर 'मनी लॉन्डरिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट' को लागू करना होगा.

5.4 ट्रांज़ैक्शन की निगरानी

निरंतर निगरानी प्रभावी KYC प्रक्रियाओं का एक आवश्यक हिस्सा है. अकाउंट की जोखिम प्रोफाइल और जोखिम संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ट्रांज़ैक्शन और उसकी लिमिट की निगरानी की जाएगी. उच्च जोखिम वाले अकाउंट की गहन निगरानी की जाएगी. SCL उन सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े ट्रांजैक्शन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देगा, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या प्रत्यक्ष कानूनी उद्देश्य नहीं है. इसके अलावा, जोखिम वर्गीकरण के आवधिक रिव्यू का एक सिस्टम स्थापित किया जाएगा.

5.4.1 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड का रखरखाव

ट्रांज़ैक्शन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की कंपनी की व्यवस्था PML के सेक्शन 12 के तहत (जिसे PMLA के सेक्शन के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए) आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(a) दस लाख रुपये या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा से अधिक के सभी कैश ट्रांज़ैक्शन;

(b) कैश ट्रांज़ैक्शन की सभी शृंखलाओं का एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ना, जिनका व्यक्तिगत मूल्य दस लाख रुपये से कम या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर है, जहां ट्रांज़ैक्शन की ऐसी शृंखला एक महीने के भीतर हुई है और मासिक कुल दस लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर से अधिक है

(c) गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दस लाख रुपये या इसके बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने संबंधी सभी ट्रांज़ैक्शन;

(d) ऐसे सभी कैश ट्रांज़ैक्शन (नियम 3 (c) के अनुसार), जहां जाली या नकली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया है या जहां ट्रांज़ैक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा के साथ या डॉक्यूमेंट की कोई जालसाजी हुई है, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने के 15वें दिन तक देनी होगी.

(e) सभी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन, जो चाहे कैश में किए गए हों या नहीं, जो नियम 3(1) (D) में बताए गए तरीके से किए गए हों.

ब्रांच को ₹10 लाख या उससे अधिक के सभी कैश ट्रांज़ैक्शन (डिपॉज़िट और निकासी) का उचित रिकॉर्ड रखना होगा. ऐसे ट्रांज़ैक्शन और संदिग्ध प्रकार के ट्रांज़ैक्शन, चाहे वे कैश में किए गए हों या अन्य तरीके से, उसके बारे में कंट्रोलिंग /हेड ऑफिस को पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजा जाना चाहिए या सेंट्रल डेटाबेस से

रिपोर्ट के रूप में प्राप्त करना चाहिए.

5.4.2 रिकॉर्ड में निर्दिष्ट जानकारी दी जाएगी

ऊपर बताए गए रिकॉर्ड में निम्नलिखित जानकारी होगी: -

(a) ट्रांज़ैक्शन के प्रकार;
(b) ट्रांज़ैक्शन की राशि और वह करेंसी, जिसमें इसका मूल्यवर्गीकरण किया गया था;
(c) ट्रांज़ैक्शन की तारीख; और
(d) ट्रांज़ैक्शन करने वाले पक्षों की जानकारी.

5.4.3 रिकॉर्ड का रखरखाव और संरक्षण

ट्रांज़ैक्शन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखने की कंपनी की व्यवस्था PML के सेक्शन 12 के तहत (जिसे PMLA के सेक्शन के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए) की आवश्यकता के अनुरूप है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) दस लाख रुपये या इसके बराबर की विदेशी मुद्रा से अधिक के सभी कैश ट्रांज़ैक्शन
(ii) कैश ट्रांज़ैक्शन की सभी श्रृंखलाओं का एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ना, जिनका व्यक्तिगत मूल्य दस लाख रुपये से कम या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर है, जहां ट्रांज़ैक्शन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर हुई है और मासिक कुल दस लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इसके बराबर से अधिक है

(iii) गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दस लाख रुपये या इसके बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने संबंधी सभी ट्रांज़ैक्शन;
(iv) ऐसे सभी कैश ट्रांज़ैक्शन (नियम 3 (c) के अनुसार), जहां जाली या नकली करेंसी नोटों या बैंक नोटों का असली के रूप में उपयोग किया गया है या जहां ट्रांज़ैक्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा के साथ या डॉक्यूमेंट की कोई जालसाजी हुई है, जिसकी रिपोर्ट अगले महीने के 15वें दिन तक देनी होगी.
(v) सभी संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन, जो चाहे कैश में किए गए हों या नहीं, जो नियम 3(1) (D) में बताए गए तरीके से किए गए हों.

ब्रांच को ₹10 लाख या उससे अधिक के सभी कैश ट्रांज़ैक्शन (डिपॉज़िट और निकासी) का उचित रिकॉर्ड रखना होगा. ऐसे ट्रांज़ैक्शन और संदिग्ध प्रकार के ट्रांज़ैक्शन, चाहे वे कैश में किए गए हों या अन्य तरीके से, उसके बारे में कंट्रोलिंग /हेड ऑफिस को पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजा जाना चाहिए या सेंट्रल डेटाबेस से रिपोर्ट के रूप में प्राप्त करना चाहिए.

निम्नलिखित जानकारी शामिल करने के लिए PMLA नियमों के नियम 3 के अनुसार ऊपर दिए गए रिकॉर्ड: -

(i) ट्रांज़ैक्शन के प्रकार;
(ii) ट्रांज़ैक्शन की राशि और करेंसी, जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया;
(iii) ट्रांज़ैक्शन की तारीख; और
(iv) ट्रांज़ैक्शन करने वाले पक्षों की जानकारी.

5.4.4 मुख्य अधिकारी

SCL एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल के अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, जिसे 'प्रमुख अधिकारी' के रूप में नामित किया जा सकता है'. प्रमुख अधिकारी (PO) का नाम, उनका पदनाम और पता समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों सहित, कृपया FIU-IND के डायरेक्टर, और नियामक अधिकारियों को भी सूचित किया जाए. प्रमुख अधिकारी SCL के प्रमुख/कॉर्पोरेट कार्यालय में मौजूद होंगे और सभी ट्रांज़ैक्शन की निगरानी और रिपोर्ट करने और कानून के तहत आवश्यक जानकारी शेयर करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे. वे प्रवर्तन एजेंसियों, SCL और ऐसी किसी भी अन्य संस्था के साथ बेहतर संपर्क बनाए रखेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने और

आतंकवाद के फाइनेंसिंग का मुकाबला करने में शामिल हैं.

कलेक्शन, ऑपरेशन, क्रेडिट और FCU या किसी अन्य विभाग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, PO मौजूदा PMLA दिशानिर्देशों के अनुसार FIU-इंडिया के पास STR/CTR/CCR दाखिल करेंगे और दाखिल करना सुनिश्चित करेंगे.

PMLA के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट - इंडिया (FIU-IND) के डायरेक्टर को सूचना प्रदान करेंगे और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (CRS) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता को पूरा करेंगे

जानकारी नीचे दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए. डायरेक्टर, FIU-IND (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया),
6th फ्लोर, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021.

कंपनी समय-समय पर नियामक अधिकारियों की सलाह के अनुसार, PMLA, FATCA और CRS के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाएगी.

5.4.5 गोपनीयता दायित्व और सूचना शेयर करना:

a) कंपनी, कस्टमर की जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगी, जो RE और कस्टमर के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप से उत्पन्न होती है.
b) कस्टमर की स्पष्ट अनुमति के बिना क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनकी जानकारी और विवरण का खुलासा नहीं किया जाएगा.
c) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/जानकारी के अनुरोधों पर विचार करते समय, कंपनी पहले खुद जांच करेगी कि मांगी गई जानकारी उस प्रकार की नहीं है, जो ट्रांज़ैक्शन में गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी.
d) उक्त नियम के अपवाद निम्नानुसार होंगे:
   I. जहां खुलासा करना कानून की बाध्यता है
   II. जहां खुलासा करना जनता के प्रति कर्तव्य है,
   III. RE के हित के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता है और
   IV. जहां खुलासा कस्टमर की व्यक्त या निहित सहमति से किया जाता है.

5.5 C-KYC अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) CERSAI के C-KYC अथॉरिटी के साथ विधिवत रजिस्टर्ड इकाई है. उपरोक्त अथॉरिटी के दिशानिर्देशों के साथ-साथ नियामक के निर्देशों के अनुसार, हम रजिस्टर्ड और रिपोर्टिंग इकाई के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. SCL को उचित सावधानी प्रक्रिया (CDD) के माध्यम से, कस्टमर के सभी KYC डॉक्यूमेंट को स्वीकार करने के बाद, कस्टमर के KYC डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करना आवश्यक है, और कस्टमर को विधिवत शामिल किए जाने के बाद उपरोक्त अथॉरिटी के समक्ष KYC डेटा/जानकारी अपलोड करना आवश्यक है. डेटा अपलोड करने के बाद जनरेट किए गए KYC पहचान के बारे में कस्टमर को सूचित किया जाता है.

लागू CDD मानदंडों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर कस्टमर का अपडेटेड KYC डेटा अपलोड किया जाना चाहिए.

6 कस्टमर जागरूकता

कंपनी को KYC प्रोग्राम के उद्देश्यों के बारे में कस्टमर को जागरूक करने के ,

विशेष रूप से कस्टमर से संवेदनशील या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के समय.

7 नई तकनीक

SCL ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन सहित नई या विकसित हो रही तकनीक से उत्पन्न होने वाले किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे पर विशेष ध्यान देगा, जो बेनामी हो सकते हैं, और अगर आवश्यक हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों में अपने उपयोग को रोकने के लिए उपाय करेगा.

8 पॉलिसी की प्रमुख बातें:

लघुरूप (एब्रीविएशन)	**विवरण**
ALCO	एसेट लायबिलिटी कमिटी
AML	एंटी-मनी लॉन्डरिंग
BO	लाभकारी मालिक
CDD	कस्टमर जांच और सत्यापन
CFT	कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (आतंकवाद की फाइनेंसिंग से मुकाबला)
CRA	कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड
FATF	फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
FIU-IND	फाइनेंशियल इंटेलिजेंस-इंडिया
NBFC	नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
KYC	नो योर कस्टमर
OVD	ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट (आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट)
PAN	परमानेंट अकाउंट नंबर
PEPs	पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (राजनीतिक रूप से प्रभावी व्यक्ति)
PML/PMLA	प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002

ध्यान दें: *OVD का अर्थ है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का प्रमाण, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान कार्ड, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी लेटर, जिसमें नाम, पते का विवरण हो, या नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य डॉक्यूमेंट".*

स्पष्टीकरण 1: - इस क्लॉज के उद्देश्य के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को OVD माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई बदलाव हुआ हो, बशर्ते कि इसके साथ राज्य सरकार द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट या गजट नोटिफिकेशन सपोर्ट में दिया गया हो, जो नाम में ऐसे बदलाव को इंगित करता हो

<u>अनुलग्नक-I</u>

कस्टमर पहचान प्रक्रिया

क्रमांक	कैटेगरी	डॉक्यूमेंट
1.	**व्यक्ति- निवासी/अनिवासी; प्रोपराइटर; पार्टनर, डायरेक्टर, कर्मचारी, मैनेजर, ट्रस्टी इत्यादि जैसे व्यक्ति. कानूनी संस्था की ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए एक अटॉर्नी रखना**	a) **नए कस्टमर के रूप में स्वीकृति के समय पैन या फॉर्म 60.** ***और*** b) आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट (OVD) की **एक सर्टिफाइड कॉपी** * (नीचे नोट 1 देखें). OVD की सूची: - 1) पासपोर्ट 2) ड्राइविंग लाइसेंस 3) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर पहचान कार्ड 4) आधार नंबर होने का प्रमाण** 5) राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड 6) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी लेटर, जिसमें नाम, पते का विवरण होता है **और** c) **हाल ही की एक फोटो;** d) **आधार नंबर** (केवल वहीं, जहां कस्टमर किसी भी प्रकार की सब्सिडी का लाभ लेना चाहता हो).
2.	**सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म (एकल स्वामित्व फर्म)**	प्रोप्राइटर के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में बताए गए डॉक्यूमेंट के अलावा, प्रोप्राइटरी फर्म के नाम पर बिज़नेस/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी दो डॉक्यूमेंट भी लिए जाएंगे: - (a) उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (URC)) सहित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. (b) शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट/लाइसेंस. (c) सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न. (d) CST/VAT/GST सर्टिफिकेट (प्रोविजनल/फाइनल). (e) सेल्स टैक्स/प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट/रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. (f) DCFT के ऑफिस द्वारा मालिकाना संस्था को जारी किया गया IEC (इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड). g) किसी कानून के तहत निगमित किसी प्रोफेशनल संस्थान द्वारा मालिकाना संस्था के नाम पर जारी किया गया प्रैक्टिस का लाइसेंस/सर्टिफिकेट. (h) सोल (एकल) प्रोपराइटर के नाम का पूरा इनकम टैक्स रिटर्न विवरण

		(सिर्फ पावती नहीं), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो और इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृत हो. (i) बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे यूटिलिटी बिल. अगर ऐसे दो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट बिज़नेस/गतिविधि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. इसके अलावा, संपर्क विवरण का सत्यापन करना और ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक है, जो फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने और मालिकाना संस्था के पते से बिज़नेस गतिविधि को सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो.
3.	**कंपनी**	a) संस्थापन सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी; b) मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सर्टिफाइड कॉपी; c) पैन की सर्टिफाइड कॉपी; d) बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्रस्ताव की सर्टिफाइड कॉपी और उनकी ओर से ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने मैनेजर, अधिकारियों या कर्मचारियों को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी और e) अपनी ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में उल्लिखित डॉक्यूमेंट.
4.	**पार्टनरशिप फर्म**	a) इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी; b) पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड कॉपी; c) पैन की सर्टिफाइड कॉपी; d) अपनी ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में उल्लिखित डॉक्यूमेंट. e) सभी पार्टनर के नाम, और रजिस्टर्ड ऑफिस का पता और उनके बिज़नेस का मुख्य स्थान, अगर वह अलग-अलग हो
5.	**ट्रस्ट और फाउंडेशन**	a) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी; b) ट्रस्ट डीड की सर्टिफाइड कॉपी; c) पैन या फॉर्म 60 की सर्टिफाइड कॉपी; d) अपनी ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में उल्लिखित डॉक्यूमेंट.

6.	**अनिगमित संगठन *(अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट/पार्टनरशिप फर्म सहित)* या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल *(सोसायटी सहित)***	a) ऐसे संगठन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के मैनेजिंग बॉडी के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी; b) अपनी ओर से उन्हें ट्रांज़ैक्शन करने के लिए दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी की सर्टिफाइड कॉपी; c) पैन या फॉर्म 60 की सर्टिफाइड कॉपी; d) अपनी ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में उल्लिखित डॉक्यूमेंट; e) ऐसी जानकारी, जो कंपनी द्वारा ऐसे किसी संगठन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है.
7.	**न्यायिक व्यक्ति, जो विशेष रूप से ऊपर कवर नहीं किए गए हैं, जैसे सरकार या उसके विभाग, सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय,**	a) संगठन की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाले डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी; b) अपनी ओर से ट्रांज़ैक्शन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपरोक्त कैटेगरी 1 में उल्लिखित डॉक्यूमेंट

**सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने का अर्थ है कस्टमर द्वारा प्रदान किए गए OVD की कॉपी की ओरिजनल से मिलान करना और कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा उसे कॉपी पर दर्ज करना.*
*** जिस कंपनी में सब्सिडी का कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है, वहां आधार होने का प्रमाण जमा करते समय **कस्टमर के आधार नंबर को हटाना या काला करना** आवश्यक है.*

ध्यान दें 1: - अगर क्लाइंट द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट में अपडेटेड पता नहीं है, तो निम्नलिखित डॉक्यूमेंट को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट माना जाएगा: -

(a) किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी के बिल) का यूटिलिटी बिल, जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए;
(b) प्रॉपर्टी या नगर निगम की टैक्स रसीद;
(c) सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (PPOs), अगर उनमें पता दर्ज हो तो;
(d) राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, अनुसूचित कमर्शियल बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास अलॉटमेंट लेटर और आधिकारिक आवास अलॉट करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट;
(e) निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले या EWS कैटेगरी वाले कस्टमर, जो किराए के घर में रह रहे हैं, उन्हें अपना कस्टमर बनाने के लिए इस शर्त पर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी स्वीकार की जाएगी, कि कस्टमर बाद में अपडेटेड OVD जमा करने का वादा करें, साथ ही, लागू लोन राशि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित लोन की अधिकतम लिमिट से अधिक न हो. पते के प्रमाण को स्वीकार करने में उपरोक्त छूट केवल समाज के वंचित वर्ग के व्यक्तियों को फाइनेंशियल रूप से साथ लाने की सुविधा प्रदान करने के लिए दी जा रही है.

यह ध्यान रखें कि कस्टमर को उपरोक्त डॉक्यूमेंट जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अपडेट किया गया आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट जमा करना होगा.

ध्यान दें: - जब कोई कस्टमर अपना आधार नंबर जमा करते हैं और सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से अलग वर्तमान पता प्रदान करना चाहते हैं, तो वे कंपनी को इस आशय से एक सेल्फ-डिक्लेरेशन दे सकते हैं.

अनुलग्नक - II

उदाहरण के लिए बिल्डर/प्रोजेक्ट लोन से संबंधित संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन की सूची

a. प्रोजेक्ट की कुल लागत की तुलना में छोटे लोन के लिए कंपनी से संपर्क करने वाला बिल्डर;
b. बिल्डर प्रोजेक्ट की फंडिंग के स्रोतों की जानकारी देने में असमर्थ है;
c. विभिन्न अथॉरिटी से प्राप्त अप्रूवल/स्वीकृतियां फर्जी साबित होती हैं या अगर ऐसा लगता है कि क्लाइंट आवश्यक सरकारी अप्रूवल/फाइलिंग आदि प्राप्त नहीं करना चाहते हैं;
d. मैनेजमेंट अज्ञात या अनुपयुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) के निर्देशों के अनुसार कार्य करता प्रतीत होता है.
e. कर्मचारियों की संख्या या संरचना बिज़नेस के आकार या स्वरूप के अनुरूप नहीं है (उदाहरण के लिए, कर्मचारियों की संख्या और उपयोग किए गए एसेट को देखते हुए किसी कंपनी का टर्नओवर अनुचित रूप से अधिक है).
f. कई न्यायिक क्षेत्रों में संचालन वाले क्लाइंट, जिनके पास केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निगरानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है.
g. कानूनी संस्थाओं की स्थापना पर सलाह, जिसका उपयोग स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य (ट्रस्ट, कंपनियों की स्थापना या नाम/कॉर्पोरेट सीट या अन्य जटिल समूह संरचनाओं में परिवर्तन शामिल है) को अस्पष्ट या बाधित करने के लिए किया जा सकता है.
h. कैश में या आसानी से ट्रांसफर होने वाले एसेट में उच्च स्तर का ट्रांजैक्शन करने वाली संस्थाएं, जिनमें गैरकानूनी फंड को छिपाया जा सकता है.

उदाहरण के लिए हाउसिंग लोन से संबंधित संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन की सूची

a. कस्टमर जानकारी, डेटा, डॉक्यूमेंट प्रदान नहीं करना चाहते हैं;
b. क्लाइंट की कानून आधारित संरचना को कई बार बदला गया है (नाम परिवर्तन, ओनरशिप का ट्रांसफर, कॉर्पोरेट सीट यानी रजिस्टर्ड ऑफिस में बदलाव);
c. अनावश्यक रूप से जटिल कस्टमर संरचना;
d. इंडिविजुअल या इस तरह के ट्रांज़ैक्शन, जो स्थापित बिज़नेस प्रोफाइल के बाहर किए जाते हैं, और अपेक्षित गतिविधियां/ट्रांज़ैक्शन अस्पष्ट हैं;
e. झूठे डॉक्यूमेंट, डेटा, लोन का उद्देश्य, अकाउंट का विवरण जमा करना;
f. जिस फंड का शुरुआत में योगदान दिया गया है, उसके स्रोत का विवरण देने से इंकार करना, फंड के स्रोत का संदिग्ध होना आदि;
g. व्यक्तिगत रूप से मिलने के इच्छुक नहीं होना, बिना पर्याप्त कारणों के किसी थर्ड पार्टी/पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना;
h. कंपनी की उस ब्रांच/ऑफिस से संपर्क करना, जो लोन एप्लीकेशन में दिए गए कस्टमर के रेजिडेंशियल या बिज़नेस के पते से दूर है, जबकि दिए गए पते के करीब कंपनी की ब्रांच/ऑफिस मौजूद है;
i. अकाउंट/एक से अधिक अकाउंट स्टेटमेंट में कई बार हुए ट्रांसफर के बारे में बताने या विश्वास दिलाने में असमर्थ होना;
j. उचित कारण के बिना असंबंधित थर्ड-पार्टी अकाउंट के माध्यम से किया गया शुरुआती योगदान;

k. लोन राशि के अंतिम उपयोग के उचित कारण के बिना, टॉप-अप लोन और/या इक्विटी लोन प्राप्त करना;
l. लोन की मंजूरी के लिए संदिग्ध तरीकों का सुझाव देना;
m. जहां ट्रांज़ैक्शन का कोई आर्थिक अर्थ नहीं बन रहा है;
n. अज्ञात स्रोत से असामान्य फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन होना;
o. असंबद्ध या अज्ञात थर्ड पार्टी से प्राप्त भुगतान और कैश में शुल्क का भुगतान, जहां यह भुगतान का एक सामान्य तरीका नहीं है;
p. लोन के वास्तविक लाभार्थी और खरीदे जाने वाले फ्लैट को लेकर उचित संदेह हो;
q. फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर लोन राशि भुनाना;
r. यह अच्छी तरह से जानते हुए लोन के लिए अप्लाई करना कि फाइनेंस की जाने वाली प्रॉपर्टी/आवासीय इकाई को पहले ही फंड किया किया जा चुका है और वह बकाया है;
s. सेल एग्रीमेंट में बताया गया सेल कंसीडरेशन (उल्लिखित मूल्य) खरीद के क्षेत्र में लागू राशि से असामान्य रूप से अधिक/कम होना;
t. एक ही प्रॉपर्टी/आवास इकाई के लिए कई बार फंडिंग;
u. किसी थर्ड पार्टी के पक्ष में भुगतान का अनुरोध करना, जिसका ट्रांज़ैक्शन से कोई संबंध नहीं है;
v. कस्टमर द्वारा वेंडर/बिल्डर/डेवलपर/ब्रोकर/एजेंट आदि के साथ मिलीभगत करके लोन राशि का उपयोग करना और इसका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना;
w. NGO/चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन/लघु/मध्यम प्रतिष्ठान (SME)/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG)/माइक्रो फाइनेंस ग्रुप (MFG) के साथ एक से अधिक फंडिंग/फाइनेंसिंग;
x. पता बदलने के लिए कई अनुरोध करना;
y. भुगतान की गई अतिरिक्त राशि रिफंड करने के अनुरोध के साथ किश्तों का अधिक भुगतान करना;
z. रियल एस्टेट में अपेक्षित कीमत से अधिक/कम कीमत पर इन्वेस्ट करना;
aa. ऐसे देशों के निगमित कस्टमर, जो धारक शेयरों की अनुमति देते हैं.